# AIR SERVICES AGREEMENT 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF ICELAND

New Delhi, 14 January 2010

The Government of Iceland and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Parties");

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

Desiring to promote their mutual relations in the field of civil aviation and to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories;

Desiring to promote an international aviation system based on competition among airlines in the marketplace with minimum government interference and regulation;

Desiring to facilitate the expansion of international air services opportunities;
Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air services and reaffirming their grave concern about acts or threats lagainst the security of aircraft, which jeopardize the safety of persons or property, adversely affect the operation of air services and undermine public confidence in the safety of civil aviation;

Have agreed as follows:

## Article 1

Definitions
For the purposes of this Agreement, unless otherwise stated, the term:

1. "Aeronautical authorities" means, in the case of Iceland, the Ministry of Transport, Communications and Local Government and any person or agency authorized to perform the functions exercised by the said authority, and in the case of India, the Directorate General of Civil Aviation, or its successor;
2. "Agreement" means this Agreement, its Annexes, and any amendments thereto;
3. "Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944, and includes: any amendment that has entered into force under Article 94(a) of the Convention and has been ratified by both Parties, and any Annex or any amendment thereto adopted under Article 90 of the Convention, insofar as such Annexes or amendments are at any given time effective for both Parties;
4. "Designated airline" means an airline designated and authorized in accordance with Article 3 of this Agreement;
5. "Full cost" means the cost of providing service plus a reasonable charge for administrative overhead;

## Article 3

## Designation and Authorization

1. Each Party shall have the right to designate an airline or airlines for the purpose of operating the agreed services on each of the routes specified in the Annex and to withdraw or alter such designations. Such designations shall be made in writing and transmitted to the other Party through diplomatic channels and shall identify whether the airline is authorized to conduct the type of air services specified in the Annex.
2. Upon receipt of such a designation and of applications from the designated airline, in the form and manner prescribed for operating authorizations and technical permissions, the other Party shall grant the appropriate authorizations and permissions with minimum procedural delay, provided:
a. substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Party designating the airline, nationals of that Party or both;
b. the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally lapplied to the operation of international jair services by the Party considering the application or applications; and
c. the Party designating the airline is maintaining and administering the standards set forth in Article 6 (Safety) and Article 7 (Aviation Security).

## Article 4

Revocation of Authorization

1. Either Party may revoke, suspend or limit the operating authorization or technical permissions of an airline designated by the other Party where:
a. substantial ownership and effective control of that airline are not vested in the other Party, the Party's nationals, or both;
b. that airline has failed to comply with the laws and regulations referred to in Article 5 (Applications of Laws) of this Agreement; or
c. the other Party is not maintaining and administering the standards as set forth in Article 6 (Safety).
2. Unless immediate action is essential to prevent further non-compliance with subparagraphs 1 (b) or 1 (c) of this Article, the rights established by this Article shall be exercised only after consultation with the other Party.
3. This Article does not limit the rights of either Party to withhold, revoke, limit or impose conditions on the operating authorization or technical permission of an airline or airlines of the other Party in accordance with the provisions of Article 7(Aviation Security).

## Article 5

Application of Laws

1. While entering, staying within, or leaving the territory of one Party, its laws and regulations relating to the operation and navigation of aircraft shall be complied with by the other Party's airlines;
2. While entering, staying within, or leaving the territory of one Party, its laws and regulations relating to the admission to or departure from its territory of passengers, crew or cargo on aircraft (including regulations relating to entry, clearance, aviation security, immigration, passports, customs and quarantine or, in the case of mail, postal regulations) shall be complied with by, or on behalf of, such passengers, crew or cargo of the other Party's airlines.

## Article 6

Safety

1. Either Party may request consultations concerning the safety standards maintained in respect of an airline designated by the other Party relating to aeronautical facilities, aircrews, aircraft, and operation of the designated airlines.
2. If, following such consultations, one Party finds that safety standards in the areas referred to in paragraph 1 that meet the standards established at that time in accordance with the Convention are not effectively maintained and administered in respect of airlines designated by the other Party, the other Party shall be notified of such findings and the steps considered necessary to conform with these minimum standards, and the other Party shall take appropriate corrective action.
3. Each Party reserves the right to withhold, suspend, or limit the operating authorization or technical permission of an airline or airlines designated by the other Party in the event the other Party does not take appropriate corrective action within a reasonable time.
4. Any action by one Party in accordance with paragraph 3 shall be discontinued once the basis for that action ceases to exist.

## Article 7

## Aviation Security

1. In accordance with their rights and obligations under international law, the Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, done at Tokyo on September 14, 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at the Hague on December 16, 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on September 23, 1971 and its protocol done at Montreal on February 24, 1988 and the Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection done at Montreal on March 1, 1991 and any other convention on aviation security to which both Parties become members.
2. Upon request the Parties shall provide each other with all necessary assistance to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, of their passengers and crew, of airports and air navigation facilities, and address any other threat to the security of civil air navigation.
3. The Parties shall, in their mutual relations, act in cohformity with all aviation security standards and appropriate recommended practices established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention; they shall require that operators of aircraft of their registry, operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Party agrees to observe the security provisions required by the other Party for entry into the territory of that other Party and to take adequate measures to protect aircraft and to inspect passengers, crew, and their baggage and carry-on items, as well as cargo and aircraft stores, prior to and during boarding or loading. Each Party shall also give positive consideration to any request from the other Party for special security measures to meet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports or air navigation facilities occurs, the Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.
6. When a Party has reasonable grounds to believe that the other Party has departed from the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of that Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Party. Failure to reach a satisfactory agreement within 15 days from the date of such request shall
constitute grounds to withhold, revoke, limit, or impose conditions on the operating authorization and technical permissions of an airline or airlines of that Party. When required by an emergency, a Party may take interim action prior to the expiry of 15 days.

## Article 8

Commercial Opportunities

1. The airlines of each Party shall have the right to establish offices in the territory of the other Party for the promotion and sale of air services.
2. The designated airlines of each Party shall be entitled, in accordance with the laws and regulations of the other Party relating to entry, residence and employment, to bring in and maintain in the territory of the other Party managerial, sales, technical, operational and other specialist staff required for the provision of air services.
3. Any airline of each Party may engage in the sale of air services in the territory of the other Party directly and, at the airline's discretion, through its agents, except as may be specifically provided by the charter regulations of the country in which the charter originates that relate to the protection of passenger funds, passenger cancellation and refund rights. Each airline shall have the right to sell such transportation, and any person shall be free to purchase such transportation, in the currency of that territory or in! freely convertible currencies.
4. Each airline shall have the right to convert and remit to its country, on demand, local revenues in excess of sums locally disbursed. Conversion and remittance shall be permitted promptly without restrictions or taxation in respect thereof at the rate of exchange applicable to current transactions and remittance on the date the carrier makes the initial application for remittance.
5. The airlines of each Party shall be permitted to pay for local expenses, including purchases of fuel, in the territory of the other Party in local currency. At their discretion, the airlines of each Party may pay for such expenses in the territory of the other Party in freely convertible currencies according to local currency regulation.
6. Notwithstanding anything contained in this Article, the exercise of rights under this Article shall be in accordance with the applicable domestic rules and regulations, and the Parties stipulate that the rules and regulations shall be administered in a non-discriminatory fashion and consistent withl the purposes of the Agreement.

## Article 9

## Code-sharing Arrangements

1. When operating or holding out the agreed combination and all-cargo services on the specified route(s), any designated airline of either Party may enter into cooperative marketing arrangements, whether as the operating or marketing airline, with
a. an airline or airlines of the same Party;
b. an airline or airlines of the other Party; or
c. an airline or airlines of a third country
2. When a designated airline of a Party performs air services under cooperative marketing arrangements as the operating airline, the total capacity operated by that airline will be counted against the capacity entitlements of that Party designating the airline.
3. When a designated airline of a Party performs air services under cooperative marketing arrangements as the marketing airline with the airline of its own country or the airline of the other Party, the total capacity offered by the former airline will not be counted against the capacity entitlements of that Party designating that airline.
4. When a designated airline of a Party performs air services under cooperative marketing arrangements as the marketing airline with an airline from a third country, the total capacity offered will be counted against the capacity entitlements of both the marketing airline and operating airline.
5. All airlines operating or holding out the above services must hold the appropriate authority including route rights, traffic rights and capacity entitlement and meet the requirements normally applied to such arrangements.
6. The designated airlines of both Parties will, when holding services out for sale, in terms of code-share, blocked-space or other joint venture arrangements, make it clear to the purchaser at the point of sale which airline will be the operating airline on each sector of the service and with which airline(s) the purchaser is entering into a contractual relationship.

## Article 10

Customs Duties and Charges

1. Each Party shall on the basis of reciprocity exempt a designated airline of the other Party to the fullest extent possible under its national law from customs duties, excise taxes, inspection fees and other national duties and charges oh aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, aircraft stores (including but not limited to such items of food, beverages and liquor, tobacco and other
products destined for sale or to be used solely in connection with the operation or servicing of aircraft) and other items, such as printed ticket stock, air waybills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed free of charge by that designated airline intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline of such other Party operating the agreed services.
2. The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred to in paragraph 1:
a. introduced into the territory of the Party by or on behalf of the designated airline of the other Party;
b. retained on board aircraft of the designated airline of one Party upon arrival in or leaving the territory of the other Party; or
c. taken on board aircraft of the designated airline of one Party in the territory of the other Party and intended for use in operating the agreed services;
whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the Party granting the exemption, provided the ownership of such items is not transferred in the territory of the said Party.
3. The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of the designated airline of either Party, may be unloaded in the territory of the other Party only with the approval of the customs authorities of that territory. In such case, they may be placed under supervision of the said authorities up to such time as they are reexported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations:

Article 11
User Charges

1. User charges that may be imposed by the competent charging authorities or bodies of each Party on the airlines of the other Party shall be just, reasonable, not unjustly discriminatory, and equitably apportioned among categories of users. In any event, any such user charges shall be assesssed on the airlines of the other Party on terms not less favourable than the most favourable terms available to any other airline at the time the charges are assessed.
2. User charges imposed on the airlines of the other Party may reflect, but shall not exceed, the full cost to the competent charging authorities or bodies of providing the appropriate airport, airport environmental, air navigation and aviation security facilities and services at the airport or within the airport system. Such full cost may include a reasonable return on assets, after
depreciation. Facilities and services for which charges are made shall be provided on an efficient and economic basis.
3. Each Party shall encourage consultations between the competent charging authorities or bodies in its territory and the airlines using the services and facilities, and shall encourage the competent charging lauthorities or bodies and the airlines to exchange such information as may be necessary to permit an accurate review of the reasonableness of the charges in accordance with the principles of paragraphs 1 and 2. Each Party shall encourage the competent charging authorities to provide users with reasonable notice of any proposal for changes in user charges to enable users to express their views before changes are made.
4. Neither party shall be held, in dispute resolution procedures pursuant to Article 16, to be in breach of a provision of this Article, unless
(i) it fails to undertake a review of the charge or practice that is the subject of complaint by the other Party within a reasonable amount of time; or
(ii) following such a review it fails to take all steps within its power to remedy any charge or practice that is inconsistent with this Article.

## Article 12

Provision of Statistics

1. The aeronautical authorities of each Party shall provide or cause its designated airline(s) to provide to the aeronautical authorities of the other Party statistics relating to the traffic carried during each month on the agreed services to and from the territory of that other Party, showing the points of embarkation and disembarkation of such traffic. Such statistics shall be furnished as soon as possible after the end of each month, but not later than 30 days following the month to which they relate.
2. The aeronautical authorities of each Party shall, on request, provide or cause its designated airline(s) to provide to the aeronautical authorities of the other Party statistics relating to true origin and destination of traffic cartied to and from the territory of that other Party for a period, not exceeding one! IATA traffic season, as specified in the request.

## Article 13

## Pricing

1. Each Party shall allow prices for air services to be decided by each designated airline based on commercial considerations in the marketplace. Intervention by the Parties shall be limited to:
a. prevention of unreasonably discriminatory prices or practices;
b. protection of consumers from prices that are excessive or restrictive due to the abuse of a dominant position; and
c. protection of airlines from prices that are artificially low due to direct or indirect governmental subsidy or support.
2. Prices for international air services between the territories of the Parties shall not be required to be filed. Notwithstanding the foregoing, the designated airlines of the Parties shall continue to provide immediate access, on request, to information on historical, existing, and proposed prices to the aeronautical authorities of the Parties in a manner and format acceptable to those aeronautical authorities.

## Article 14

Intermodal Services
Notwithstanding any other provision of this Agreement, airlines and indirect providers of cargo transportation of both Parties shall be permitted, without restriction, to employ in connection with international air services any surface transportation for cargo to or from any points in the territories of the Parties or in third countries, including transport to and from all airports with customs facilities, and including, where applicable, the rightlto transport cargo in bond under applicable laws and regulations. Such cargo, whether moving by surface or by air, shall have access to airport customs processing and facilities. Airlines may elect to perform their own surface transportation or to provide it through arrangements with other surface carriers, including surface transportation operated by other airlines and indirect providers of cargo air services. Such intermodal cargo services may be offered at a single, through price for the air and surface transportation combined, provided that shippers are not misled as to the facts concerning such transportation.

## Article 15

Consultations and Settlement of Disputes

1. Either Party may, at any time, request consultations relating to this Agreement. Such consultations shall begin at the earliest possible date, but not later than 60 days from the date the other Party receives the request unless otherwise agreed.
2. Any dispute arising under this Agreement that is not resolved by a first round of formal consultations may be referred by agreement of the Parties for decision to some person or body. If the Parties do not so agree, the dispute shall, at the request of either Party, be submitted to arbitration in accordance with the procedures set forth below.
3. The arbitration shall be conducted by a tribunal of three arbitrators to be constituted as follows:
a. Within 30 days after the receipt of a request for arbitration, each Party shall name one arbitrator. Within 60 days after these two arbitrators have been named, they shall by agreement appoint a third arbitrator, who shall act as President of the arbitral tribunal;
b. If either Party fails to name an arbitrator, or if the third arbitrator is not appointed in accordance with subparagraph (a) of this paragraph, either Party may request the President of the Council of the International Civil Aviation Organization to appoint the necessary arbitrator or arbitrators within 30 days. If the President of the Council is of the same nationality as one of the Parties, the most senior Vice President who is not disqualified on that ground shall make the appointment. In the event that either the President or the most senior, qualified Vice President appoints the third arbitrator under this sub-paragraph, that third arbitrator shall not be a national of either of the Parties.
4. Except as otherwise agreed, the arbitral tribunal shall determine the limits of its jurisdiction in accordance with this Agreement and shall establish its own procedural rules. The tribunal, once formed, may recommend interim relief measures pending its final determination. At the direction of the tribunal or at the request of either of the Parties, a conference to determine the precise issues to be arbitrated and the specific procedures to be followed shall be held not later than 15 days after the tribunal is fully constituted.
5. Except as otherwise agreed or as directed by the tribunal, each Party shall submit a memorandum within 45 days of the time the tribunal is fully constituted. Replies shall be due 60 days later. The tribunal shall hold a hearing at the request of either Party or on its own initiative within 15 days after replies are due.
6. The tribunal shall attempt to render a written decision within 30 days after completion of the hearing or, if no hearing is held, after the date both replies are submitted. The decision of the majority of the tribunal shall prevail.
7. The Parties may submit requests for clarification of the decision within 15 days after it has been rendered and any clarification given shall be issued within 15 days of such request.
8. Each Party shall, to the degree consistent with its national law, give full effect to any decision or award of the arbitral tribunal.
9. The expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the arbitrators, shall be shared equally by the Parties. Any expenses incurred by the President of the Council of the International Civil Aviation Organization in connection with the procedures of paragraph 3 (b) of this Article shall be considered to be part of the expenses of the arbitral tribunal.

## Article 16

Modification

1. If either Party considers it desirable to modify any provision of this Agreement, including the Annex thereto, it may request consultations between the aeronautical authorities of both Parties in relation to the proposed modification. Such consultations shall commence within a period of sixty days (60) from the date of receipt of the request. Any modifications so agreed shall enter into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic notes by both Parties.
2. A modification to the Annex may be made by direct agreement between the aeronautical authorities of both Parties and shall enter into force when it has been confirmed by exchange of diplomatic notes.

## Article 17

Termination
Either Party may, at any time, give notice ${ }^{\text {in }}$ writing to the other Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be sent simultaneously to the International Civil Aviation Organization. This Agreement shall terminate at midnight at the place of receipt of the notice immediately before the first anniversary of the date of receipt of the notice by the other Party, unless the notice is withdrawn by agreement of the Parties before the end of this period.

## Article 18

Registration with ICAO

This Agreement and all amendments thereto shall be registered upon its signature with the International Civil Aviation Organization.

# ANNEX <br> International Air Services 

## Routes

The designated airlines of each Party shall be entitled to perform international air services between points on the following routes:
A. Routes for the airlines designated by the Government of Iceland:

| Points in Iceland | Intermediate <br> Points | Points in India | Beyond Points |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Any | Any 2 points | Any 2 points | Any 2 points |

B. Routes for the airlines designated by the Government of the Republic of India:

| Points in India | Intermediate <br> Points | Points in Iceland | Beyond Points |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Any | Any 2 points | Any 2 points | Any 2 points |

Notes:

1. The designated airlines of each Party may at their option omit points on any of the above routes provided that, with the exception of all-cargo services, the services commence or terminate in the territory in which the airline concerned has its principal place of business.
2. The intermediate points, beyond points and points of call in India and Iceland on the above routes, and the traffic rights which may be exercised at such points by the designated airlines, shall be jointly determined between the aeronautical authorities from time to time.

## Article 19

Entry into force
This Agreement and its Annex shall enter into force on the date of the later note in an exchange of diplomatic notes between the Parties confirming that each Party has completed the necessary internal procedures for the entry into force of this Agreement and its Annex.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at New Delhi this $14^{\text {th }}$ day of January 2010, in duplicate, in the English language, which shall be the authentic text. Translation of the Agreement into Icelandic and Hindi languages will be prepared and shall be considered equally authentic when agreed upon by an exchange of diplomatic notes that confirm their conformity with the English language text


For the Government of the Republic of India
Forth Government of Iceland

## विमान सेवा करार

## भारत गणराज्य की सरकार

तथा

## आइसलैण्ड गणराज्य की सरकार के बीच

स्थान: नई़ दिल्ली
तारीख:14 जनवरी 2010.

आइसलैण्ड गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार, जिन्हें एतद्पश्चात् "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है;

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के संबंधित पक्ष है;

जो नागर विमानन के क्षेत्र में परस्पर संबंधों को प्रोत्साहित करने और जो अपने-अपने राज्य क्षेत्रों के बीच तथा उनसे आगे विमान सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन से एक करार करने की इच्छा रखती हैं;

जो न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन सहित मार्केट प्लेस में एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रणाली को प्रोत्साहित करने की इच्छा से;

जो अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवा अवसरों के विस्तार में सुविधा की इच्छा से;
जो अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में संरक्षा तथा सुरक्षां की इष्टतम डिग्री का सुनिश्चित करने तथा विमान की सुरक्षा के विरूद्ध कार्रवाई अथवा धमकी की पुनः पुष्टि करती है जिससे व्यक्तियों अथवा सम्पत्तियों की सुरक्षा प्रभावित होती है तथा जिसंसे जनता के मन में नागर विमानन की सुरक्षा के प्रति विथ्वास में कमी आती हो।

## अनुच्छेद - एक परिभाषा

1. इस करार के उद्देश्य के लिए अन्यथा कहा गया है कि यह " वैमानिकी प्राधिकारी" का अर्थ, आइसलैण्ड के मामले में परिवहन, संचार मंत्रालय और स्थानीय सरकार और उस किसी भी व्यक्ति तथा एजेंसी से है जिसे भारत के मामले में नागर विमानन महानिदेशक अथवा इसके उत्तराधिकारी;
2. "करार" का अर्थ करार इसके अनुबंध तथा इसमें किया गया कोई भी संशोधन से है;
3. "अभिसमय" से अर्थ 07 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय तथा इसमें शामिल किसी भी संशोधन से है जिसे अभिसमय के अनुच्छेद 94 (क) के अधीन लागू किया गया हो तथा जिसका अनुसमर्थन दोनों पक्षों ने किया हो तथा कोई भी अनुच्छेद तथा अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन अपनाया गया है जहां तक इस प्रकार के अनुबंध अथवा संशोधेन एक निर्धारित समय में दोनों पक्षों के लिए प्रभावी हो रहे हों;
4. "नामित विमानकंपनी" का अर्थ एक ऐसी विमान कंपनी से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो;
5. "पूर्ण लागत" का अर्थ प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत तथा इसके प्रशासनिक कार्य के लिए वसूले जाने वाले उपयुक्त प्रभारों से है;
6. "अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवा" का अर्थ एक ऐसी विमान सेवा से है जो एक से अधिक देशों के राज्यक्षेत्र के विमान मार्ग से होकर गुजरती हो;
7. "मूल्य" का अर्थ एयरलाइनों द्वारा यात्रियों (और उनके सामान) और/अथवा कार्गो (डाक को छोड़कर) के वहन के लिए विमान सेवा में वसूले जाने वाले किसी किराए, दर अथवा प्रभार से है, तथा इसमें एयरलाइनों के एजेंट भी शामिल हैं तथा यह इस प्रकार के किराए, दर अथवा प्रभार की उपलब्धता को शामिल करने वाली शर्तों से है;
8. "गैर-यातायात प्रयोजन के लिए रूकना," एयरलाइन और राज्यक्षेत्रों का अर्थ वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 तथा 96 में इस लिए दिया गया है; तथा
9. "प्रयोक्ता प्रभार" का अर्थ, हवाईअड्डा विमान दिक्चाल़न अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं अथवा सेवाओं की व्यवस्था के लिए एयरलाइनों पर लगाए गए प्रभार से है, जिसमें संबंधित सेवाएं तथा सुविधाएं भी शामिल हैं।

## अनुच्छेद - दो अधिकारों की स्वीकृति

1. प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष को इस करार के अनुबंध में उपयुक्त खण्ड में वर्णित निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं की व्यवस्था के प्रयोजन के लिए इस करार में वर्णित अधिकारों की मंजूरी प्रदान करता है। इस प्रकार की सेवाओं और मार्गों को इसके पश्चात सहमत सेवाएं तथा विनिर्दिष्ट मार्ग कहा जाएगा।
2. इस करार के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक पक्ष क़ी नामित विमान कंपनी (कंपनियों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

क. बिना अवतरण किए इसके राज्यक्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने का अधिकार;
ख. गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए इसके राज्यक्षेत्र में रूकने का अधिकार;
ग. विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा का प्रचालन करते समय, प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी (कंपनियों) को अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में, इस

करार की अनुसूची में वर्णित मार्गों पर स्थानों पर अलग से अथवा संयुक्त रूप से यात्री और कार्गो के रूप में अंतरराष्ट्रीय यातायात को चढ़ाने और उतारने का भी अधिकार होगा परन्तु इसमें डाक का वहन शामिल नहीं होगा।
3. इस करार के अनुच्छेद 4 के अधीन नामित विमान कंपनी को छोड़कर प्रत्येक पक्ष की विमानकंपनी (कंपनियों) को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उप-पैरा (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकार भी प्राप्त होंगे।
4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) का अर्थ यह नहीं होगा कि एक पक्ष की नामित विमानकंपनी (कंपनियों) को, अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में, यात्रियों और कार्गो को डाक सहित विमान में चढ़ाने का विशेषाधिकार मिल गया है जिन्हें अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में अन्य स्थानों के लिए भेजा जाना था।

## अनुच्छेद - तीन <br> नामित तथा प्राधिकृत करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों के प्रत्येक पर सहमत सेवाओं के प्रचालन करने के प्रयोजन के लिए एक विमान कंपनी अथवा विमान कंपनियों को नामित करने तथा इस प्रकार के नामन को वापस लेने अथवा परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इस प्रकार का नामन लिखित में किया जाएगा तथा राजनयिक माध्यम से अन्य पक्ष को प्रेषित की जाएगी तथा यह पता लगाया जाएगा कि क्या विमान कंपनी अनुबंध में विनिर्दिष्ट विमान सेवाओं की किस्म के लिए प्राधिकृत है अथवा नहीं।
2. इस प्रकार का नामन तथा नामित विमानकंपनी से (आवेदन प्रांप्त होने पर), प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमति के लिए निर्धारित रूप तथा तरीके से अन्य पेक्ष न्यूनतम कार्यविधिक देरी किए बिना उपयुक्त प्राधिकार तथा अनुमति प्रदान करेगा, बशर्ते कि:

क. उस एयरलाइन का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण विमान कंपनी के नामित करने वाले पक्ष राष्ट्रिकों तथा पक्ष अंथवा दोनों में निहित है;

ख. नामित विमान कंपनी, आवेदन अथवा आवेदनों पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए सामान्य रूप से लागू नियमों और विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने में सफल रहती है;

ग. विमान कंपनी को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद 6 (संरक्षा) तथा अनुच्छेद 7 (विमान सुरक्षा) में निर्धारित मानकों का प्रबंधन तथा प्रशासन पूरा कर रही हो।

## अनुच्छेद - चार प्राधिकार पर रोक लगाना

1. प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर उस समय रोक, निलम्बन अथवा सीमा निर्धारित कर सकता है, जहाँ;

क. उस कंपनी का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण अन्य पक्ष, पक्ष के राष्ट्रिकों अथवा दोनों में निहित नहीं है ।

ख. वह विमान कंपनी इस करार के अनुच्छेद 5 (कानूनों की प्रयोज्यता) में वर्णित कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहती हैं; अथवा

ग. अन्य पक्ष अनुच्छेद 6 (संरक्षा) में निर्धा:रित मानकों का रख-रखाव और प्रशासन नहीं हो रहा है।
2. जब तक इस अनुच्छेद के उप पैरा ख अथवा ग के साथ और आगे गैर अनुपालन के निवारण के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक न हो, तब इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित आदि करों का निर्वाह केवल अन्य पक्ष से विचार-विमर्श के बाद ही किया जाएगा।
3. यह अनुच्छेद दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष अनुच्छेद 7 (विमान सुरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार अन्य पक्ष की विमान कंपनी अंथवा विमान कंपनियों के प्रचालन प्राधिकार अथवा तकनीकी अनुमति पर रोकने, रोक लगाने सीमित करने अथवा शर्तें लगाने के अधिकार पर रोक नहीं लगाता है ।

> अनुच्छेद - पाँच कानूनों को प्रयोज्यता

1. एक पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश, इसके भीतर ठहराव करते अथवा प्रस्थान करते समय विमान के प्रचालन तथा दिक्चालन से संबंधित इसके कानून तथा विनियम का अनुपालन दूसरे पक्ष द्वारा किया जायेगा।
2. एक पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश, इसके अन्दर रहने तथा प्रस्थान करते समय, इसके राज्य क्षेत्र के यात्रियों, कर्मीदल अथवा विमान में कार्गो (प्रवेश, क्लीयरेंस, विमान सुरक्षा, आब्रजन, पासपोर्ट, सीमा-शुल्क और् संगरोध अथवा डाक के संबंध में डाक विनियम सहित) प्रवेश करने वाले अथवा प्रस्थान करने वाले से संबंधित इसके कानून और विनियमों का अनुपालन, दूसरे पक्ष की एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, कर्मीदल अथवा कार्गो द्वारा अथवा उनकी ओर से तदनुरूप अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

## अनुच्छेद - छ: <br> संरक्षा

1. दोनों पक्ष, वैमानिकी सुविधाओं, विमान कर्मीदल, विंमान और नामित विमानकंपनियों के प्रचालन के संबंध में अन्य पक्ष द्वारा नामित एक विमान कम्पनी के संबंध में संधारित संरक्षा मानकों के संबंध में विचार-विमर्श का अनुरोध कर सकते हैं।
2. यदि इस प्रकार के विचार-विमर्श के बाद एक पक्ष का पता चलता है कि पैराग्राफ में वर्णित क्षेत्रों में संरक्षा मानकों जिन्हें अभिसमय के अनुसार उस समय बनाए गए स्तर पर अन्य पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनियों के संबंध में प्रभावी रूप से अनुरक्षित तथा प्रशासनिक रूप से नहीं किया जा रहा है तो अन्य पक्ष इस प्रकार की कमियों तथा न्यूनतम मानकों के साथ समरूप आवश्यक समझे जाने वाले कंदमों को अधिसूचित करेगा तथा अन्य पक्ष उपयुक्त निवारक कार्रवाई करेगा।
3. यदि अन्य पक्ष एक उपयुक्त समय के अधीन अन्दर उपयुक्त निवारक कार्रवाई नहीं करता है तो दूसरे पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी अथवा विमान कंपनियों के प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीक अनुमति को रोक देने, निलम्बन तथा सीमा लगाने का अधिकार प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास आरक्षित है ।
4. पैराग्राफ 3 के अनुसार एक पक्ष द्वारा किसी भी सभी प्रकार की कार्रवाई को कार्रवाई को एक बार की कार्रवाई के आधार पर रोक दिया जाएगा।

## विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों तथा दोयित्वों के अनुरूप, दोनों पक्ष पुन: इस बात की पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्क्षेप के कृत्यों के विरूद्ध नागर विमानन सुरक्षा का बचाव करने के बारे में एक-दूसरे के प्रति उनका दायित्व इस करार का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने-अपने अधिकारों संथा दायित्वों की व्यापकता को कम किये बिना, दोनों पक्ष विशेष रूप से, 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित वायुयान में किए गये अपराधों एवं कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित वायुयान के विधि विरूद्ध अभिग्रहण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितंबर, 1971 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमानन सुरक्षा संबंधी विधि विरूद्ध कार्य दमन अभिसमय, 24 फरवरी, 1988 को मांट्रियल में हस्ताक्षरित सिविल विमान सेवारत विमानपत्तन पर हिंसा वाले विधि विरूद्ध कृत्यों के दमन हेतु अनुपूरक प्रोटोकाल तथा 1 मार्च, 1991 को मांट्रियल में जांच के उद्देश्य से प्लास्टिक विस्फोटकों की मार्किंग पर अभिसमय, तथा नागर विमानन की सुरक्षा से संबंधित किसी भी अन्य अभिसमय, जिसका पालन दोनों पक्ष करते हों, के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।
2. अनुरोध किए जाने पर एक दूसरे पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों का गैरकानूनी कब्जा अभिग्रहण किए जाने और ऐसे विमान, उसके यात्रियों, कार्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के बचाव के लिए अथवा नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध किसी अन्य खतरे के लिए एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय नाग़रार विमानन संगठन द्वारा (इकाओ) द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के उपबंधों के रूप में नामित नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप उस सीमा तक कार्य करेंगे जहां तक वे इन पक्षों पर लागू होते हैं। वे अपने पंजीकृत विमान प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों, जिनके व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निंवास उनके राज्यक्षेत्र में है तथा उसके क्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालकों से यह अपेक्षा करेंगे कि इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे प्रत्येक पक्ष अनुबंधों के अपने राष्ट्रीय विनियमों तथा कार्यविधियों तथा विमानन सुरक्षा मानदण्डों में किसी भी प्रकार का मतभेद होने पर एक दूसरे पक्ष को सलाह देंगे।
4. प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में प्रवेश के लिए तथा बोर्डिंग तथा लाजिंग से पहले तथा के दौरान यात्रियों, कर्मीदल तथा उनके बैगेज तथा वहन करने वाले सामान साथ ही बोर्डिंग व लॉजिंग से पहले तथा के दौरान कार्गो तथा विमान भण्डारों की जांच के लिए पर्याप्त उपाय करने के लिए विमान की सुरक्षा तथा सुरक्षा संबंधी उपबंधों को करने के लिए सहमत होंगे। प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष के द्वारा किसी विशिष्ट खतरे का सामना करने के लिए किए जा रहे सुरक्षा उपबंधों को सकारात्मक रूप से विचार करेगें।
5. जब किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी कब्जे का खतरा या इस प्रकार के खतरे की घटना घटती है या किसी ऐसे विमान, उसके यात्रियों और कार्मिकों, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षां के विरूद्ध कोई और गैर-कानूनी कार्य किया जाता है तो दोनों पक्ष इस प्रकार की घटनाओं अथवा उनके खंतरे को तुरंत समाप्त करने के लिए संचार सुविधाएं प्रदान करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके एक-दूसरे की सहायता करेंगे।
6. जब एक पक्ष के पास यह विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार हैं कि दूसरा पक्ष इस अनुच्छेद के विमान सुरक्षा उपबंधों से दूर हट गया है तो प्रथम पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों से तुरन्त परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी पक्ष द्वारा ऐसे परामर्श के अनुरोध किए जाने के 15 दिनों के भीतर किसी संतोषजनक सहमति पर पहुंचने में विफलता से उस पक्ष की एक एयरलाइन अथवा एयरलाइनों के प्रचालन प्राधिकार तथा तकनीकी अनुमतियों संबंधी शर्तों को रोकने, बहाल करने, सीमित करने या लगाने के लिए तत्संबंधी अनुरोध का आधार बनेंगे। किसी आपात स्थिति में अपेक्षित होने पर, प्रथम पक्ष 15 दिन के समाप्त होने पर अन्तरिम कार्रवाई कर सकता है।

## अनुच्छेद - आठ वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों की हवाई सेवाओं के प्रयोजन तथा बिक्री के लिए दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने कां अधिकार होगा।
2. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें, प्रवेश, निवास तथा रोजगार से संबंधित दूसरे पक्ष के कानूनों और विनियमों के अनुसार, अंन्य पक्ष के राज्य क्षेत्र में विमान सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक प्रबन्धकीय, बिक्री, तकनीकी, प्रचालनिक तथा अन्य विशेषज्ञ स्टाफ को लाने और अनुरक्षित रखने के लिए पात्र होंगी ।
3. प्रत्येक पक्ष की कोई भी एयरलाइन दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रत्यक्षत: अथवा एयरलाइन के विवेकाधिकार पर अपने एजेंटों के जरिए, हवाई सेवाओं की बिक्री में संलिप्त हो सकती है, सिवाय जैसा कि उस देश के चार्टर विनियामकों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्रावधान किया गया है जिसमें चार्टर आरंभ होता है जो यात्री निधियों, यात्री रद्करणण तथा पुनर्भुगतान अधिकारों से संबंधित हो। प्रत्येक एयरलाइन को ऐसा परिवहन बेचने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति उससे राज्यक्षेत्र की मुद्रा अथवा स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में इस परिवंहन को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।
4. प्रत्येक एयरलाइन को, मांग होने पर, स्थानी़य रूप से संवितरित राशि से अधिक स्थानीय राजस्व अपने देश के लिए परिवर्तित तथा छोड़ने का अधिकार होगा।

परिवर्तन अथवा माफी की अनुमति वाहक के द्वारा माफी के आरंभिक आवेदन की तिथि पर चालू लेन-देन तथा माफी की लागू विनिमय दर पर बिना किसी प्रतिबंध के तत्परता से दी जाएगी।
5. प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनों को दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र में ईंधन की खरीद सहित, स्थानीय व्ययों के लिए भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने की अनुमति होगी। अपने विवेकाधिकार पर, प्रत्येक पक्ष की एयरलाइनें अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र मे ऐसे व्ययों का भुगतान स्थानीय मुद्रा संबंधी विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में कर सकती है।
6. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के बावजूद, इसके तहत अंधिकारों का प्रयोग अंतदेर्शीय नियमों तथा विनियमों के अनुसार होंगा तथा दोनों पक्ष निर्धारित करते हैं कि नियमों तथा विनियमों का प्रशासन गैर-पक्षपातपूर्ण ढंग से तथा इस करार के प्रयोजनों के अनुरूप किया जाएगा।

## अनुच्छेद - नौ कोड शेयरिंग प्रबन्ध

1. विनिर्दिष्ट मार्ग (मार्गों) पर सहमत युग्म तथा माल-कार्गो सेवाओं को प्रचालित अथवा होल्ड आउट करते समय, किसी भी पक्ष की कोई भी नामित एयरलाइन, चाहे प्रचालनिक अथवा मार्केटिंग एयरलाइन के रूप में, निम्न के साथ सहंयोगी विपणन करार कर सकती है:

क. उसी पक्ष की एक एयरलाइन अथवां एयलाइनों के साथ;
ख. अन्य पक्ष की एक एयरलाइन अथवा एयलाइनों के साथ; अथवा
ग. तृतीय पंक्ष की एयरलाइन अथवा एंयरलाइनों के साथ
2. जब एक पक्ष की नामित एयरलाइन प्रचालनिक एयरलाइन के रूप में सहयोगी मार्केटिंग करारों के तहत हवाई सेवाएं निष्पादित करती हैं, तो उस एयरेलाइन द्वारा प्रचालित कुल क्षमता की गणना उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता पात्रता की तुलना में की जाएगी ।
3. जब एक पक्ष की नामित एयरलाइन प्रचालनिक एयरलाइन के रूप में अपने देश की एयरलाइन अथवा अन्य पक्ष की एयरलाइन के साथ सहयोगी मार्केटिंग करारों के तहत|हवाई सेवाएं निष्पादित करती है, तो उस एयरलाइन द्वारा प्रचालित कुल क्षमता की गणना उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता पात्रता की तुलना में नहीं की जाएगी ।
4. जब एक पक्ष की नामित एयरलाइन प्रचालनिक एयरलाइन के रूप में तृत्तीय देश की किसी एयरलाइन के साथ सहयोगी मार्केटिंग करारों के तहत हवाईं सेवाएं निष्पादित करती है, तो उस एयरलाइन द्वारा प्रचालित कुल क्षमता की उस एयरलाइन को नामित करने वाले पक्ष की मार्केटिंग एयरलाइन तथा प्रचालनिक एयरलाइन दोनों की क्षमता पात्रता की तुलना 'में की जाएगी ।
5. उपरोक्त सेवाएं प्रचालित अथवा होल्ड आउट करने वाली सभी एयरलाइनों कें पास मार्ग अधिकारों, यातायात अधिकारों तथा क्षमता पात्रता सहित समुचित प्राधिकार होने चाहिए और उन्हें ऐसे करारों पर सामान्य रूप से लागू अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए ।
6. दोनों पक्षों की नामित एयरलाइनें, बिक्री हेतु सेवाओं को होल्ड आउट करते समय, कोड शेयरों की शर्तो में, चाहे वे बलॉक-स्पेस अथवा अन्य संयुक्त उद्यम करार हों, बिक्री के स्थल पर खरीदार को यह स्पष्ट करेंगे कि कौन सी एयरलाइन सेवा के प्रत्येक सेक्टर पर प्रचालनिक एयरलाइन होगी तथा खरीदार कौन सी एयरलाइन के साथ करारगत संबंध का रहा है ।

## अनुच्छेट - दस

## कस्टम शुल्क एवं प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर अन्य पक्ष की एक नामित एयेरलाइन के अपने राष्ट्रीय कानून के तहत विमानों, ईधन स्नेहक तेलों, उपभोज्य तकनीकी सामग्रियों, ईजनों, नियमित विमान उपस्करों, विमान भण्डारों (जिसमें भोजन, पेय, मद्य, तम्बाकू अथवा विशुद्ध रूप से विमान के प्रचालन अथवा सर्विसिंग से संबंधित बिक्री अथवा उपयोग के लिए निमित्त अन्य उत्पाद शामिल हैं, किन्तु यह इस तक सीमित नहीं हैं) सहित स्पेयर पार्ट्सं तथा अन्य मदों जैसे मुद्रित टिकट स्टॉक, एयर वे बिल्स कोई भी मुद्रित सामग्री जिसमें कंपनी का निशान ऊपर मुद्रित हो तथा उस एयरलाइन द्वारा सहमत सेवाएं प्रचालित कर रहे ऐसे अन्य पक्ष की नामित एयरलाइन के प्रचालन अथवा सर्विसिंग से विशुद्द रूप से प्रयोग की गई अथवा प्रयोग किए जाने के लिए नि:शुल्क वितरित सामान्य प्रचार सामग्री पर कस्टम शुल्कों, आबकारी करों, निरीक्षण शुल्कों तथा अन्य राष्ट्रीय शुल्कों तथा प्रभारों के तहत अधिकतम संम्भव सीमा तक छूट प्रदान करेगा।
2. इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान छूटें पैरा 1 में संदर्भित मदों पर लागू होंगी:

क) अन्य पक्ष की नामित एरलाइन की ओर सेंअथवा दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र में लागू;
ख) अन्य पक्ष में आगमन पर अथवा अन्य पक्ष का राज्यक्षेत्र छोड़ते समय एक पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर उड़ानंगत रखी गई सामग्री,', अथवा
ग) अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में एक पक्ष की नामिंत एयरलाइन के विमान में उड़ानगत रखे गए तथा सेवाएं प्रचालित करने में उपयोग के लिए प्रवृत्त;

चाहे ये मद छूट प्रदान करने वाले पक्ष के राज्यक्षेत्र के भीतर पूरी तरह उपयोग किए जा चुके हों अथवा नहीं, बशर्ते कि इन मदों का स्वामित्व उक्त पक्ष के राज्यक्षेत्र में हस्तांतरित न किया गया हो ।
3. नियमित एयरबोर्न उपस्कर के साथ-साथ किसी 'भी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर सामान्यत: रखी गई सामग्रियों अथवा आपूर्तियों को अन्य पक्ष के राज्यक्षेत्र में केवल उस राज्यक्षेत्र के कस्टम प्राधिकारियों के अनुमोदन से उतारा जा सकता है । ऐसे मामलों में इनको उतने समय तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखा जाए जब तक इन्हें कस्टम विनियमों के अनुरूप पुनः निर्यात अथवा अन्यथा निपटा लिया जाए।

## अनुच्छेद - ग्यारह प्रयोक्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष के सक्षम वसूली प्राधिकारियों अथवा निकायों द्वारा अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए जाने वाले प्रयोक्ता प्रभार न्यायोचित, तर्कसंगत होंगे, अनौचितपूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण नहीं होंगे तथा प्रयोक्ताओं की श्रेणियों के बीच समान रूप से अनुपातिक होंगे । किसी भी स्थिति में, प्रभारों का आकलन किए जाते समय, अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर ऐसे किसी प्रयोक्ता प्रभार का आकलन किसी भी एयरलाइन को उपलब्ध अधिकतम अनुकूल शर्तों से कम अनुकूल शर्तों पर नहीं किया जाएगा ।
2. अन्य पक्ष की एयरलाइनों पर लगाए गए प्रयोक्ता प्रभारों में उपयुक्त हवाईअड्डा, हवाईअड्डा वातावरण, हवाई दिक्चालन तथा हवाईअड्डे पर अथवा हवाईअड्डा प्रणाली के भीतर विमानन सुरक्षा सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सक्षम वसूली प्रांधिकारियों अथवा निकायों की पूर्ण लागत परिलक्षित हो सकती है, किन्तु ये प्रभार इस लागत से अधिक नहीं हो सकते । इस पूर्ण लागत में अवमूल्यन पश्चात् परिसंपत्तियों पर एक औचित्यपूर्ण वापसी शामिल हो सकती है । जिन सुवधिाओं तथा सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं इनहें कुशल व किफायती रूप से उपलब्ध कराया जाएगा ।
3. प्रत्येक पक्ष अपने राज्यक्षेत्र में सक्षम वसूलकर्ता प्राधिकारियों तथा; निकायों और इन सेवाओं व सुविधाओं का उपयोग करने वाली एयरलाइनों के बीच परामर्शों को प्रोत्साहित करेगा तथा सक्षम वसूलकर्ता प्राधिकारियों तथा निकायों और इन एयरलाइनों को पैरा 1 तथा 2 के अनुरूप प्रभारों के औचित्य की सही-सही समीक्षा की जा सकने के लिए यथा आवश्यक सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कररेगा। प्रत्येक पक्ष सक्षम वसूलकर्ता प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करेगा कि वे प्रयोक्ताओं को प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तनों के लिए किसी भी प्रस्ताव की उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराएं' जिससे प्रयोक्ता परिवर्तरनों से पहले अपने मत व्यक्त कर सकें ।
4. किसी भी पक्ष को अनुच्छेद 16 के अनुवर्ती विवार निपटान प्रक्रियाओं में इस अनुच्छेद के उल्लंघन के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि
i) यह उपयुक्त समय-सीमा के भीतर अन्य पक्ष द्वारा की गई शिकयात के विषयाधीन प्रभार अथवा परिपाटी की समीक्षा आरंभ करने मे विफल न हो जाए, अथवा
ii) ऐसी समीक्षा के अनुसरण में, इस अनुच्छेद के।साथ असंगत किसी प्रभार अथवा परिपाटी का उपचार करने के लिए, अपनी शक्तियों के भीतर सारे कदम उठाने में विफल न हो जाए।

## अनुच्छेद - बारह <br> आंकड़े उपलब्ध कराना

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उस दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र में आने वाली और वहां से जाने वाली सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान वाहित यातायात से संबंधित आंकड़े भेजेंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवाएंगे जिनमें इस प्रकार के यातायात के चढ़ने और उतरने के स्थलों का उल्लेख किया गया हो । इस प्रकार के आंकडे प्रत्येक मास की समाप्ति के बाद यथा संभव शीज्री दिये जाएंगे किन्तु यह अवधि उस माह के बाद 30 दिन से अधिक की नहीं होगी जिससे ये संबंधित है ।
2. अनुरोध किये जाने पर, प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को, उस पक्ष के राज्य क्षेत्र को और वहां से, उक्त अनुरोध में यथा विनिर्दिष्ट एक आयटा यातायात सीजन से अनधिक अवधि में, वाहित यातायात के वास्तविक उद्ग्गम और गंतत्व से संबंधित आंकडे उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से भिजवायेंगे।

## अनुच्छेद - तेरह <br> \section*{मूल्यकरण}

1. प्रत्येक पक्ष बाजार में वाणिज्यिक कारणों के आधार पर हवाई सेवाओं के मूल्यों पर प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा निर्णय लिए जाने की अनुमति देगा।। दोनों पक्षों द्वारा हस्तक्षेप निम्न तक सीमित रहेगा:

क) अनौचित्यपूर्ण पक्षपाती अथवा परिपाटियों की रोकथाम,
ख) उपभोक्ताओं की ऐसे मूल्यों से रक्षा जो अनौचित्यपूर्ण रूप से अधिक हो अथवा किसी अन्य स्थिति के दुरूपयोग के कारण हतोत्साहक हों, तथा
ग) एयरलाइनों को उन मूल्यों से संरक्षित करना जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सरकारी सब्सिडी अथवा समर्थन के कारण कृत्रिम रूप से निम्न हैं ।
2. पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के लिए मूल्यों को फाइल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा । पूर्ववर्ती पैरा के बावजूद, पक्षों की नामित एयरलाइनें, अनुरोध होने पर, पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों को ऐतिहासिक, मौजूदा तथा प्रस्तावित मूल्यों संबंधी सूचना, उन वैमानिकी प्राधिकारियों को स्वीकार्य तरीके तथा प्रारूप में, तुरंत उपलब्ध कराती रहेंगी।

## अनुच्छेद - चौदह इंटरमोडल सेवाएं

इस करार के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, दोनों पक्षों की एयरलाइनों तथा कार्गो परिवहन के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं को बिना किसी प्रतिबंध के, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में जिसमें सीमा-शुल्क सुविधाओं से युक्त सभी हवाईअड्डों सें तथा के लिए परिवहन शामिल होगा और जहां लागू हो, लागू कानूनों तथा विनियमों के तहत बंध पत्र के तहत कार्गो परिवहन का अधिकार शामिल होगा । पक्षों अथवा तीसरे देशों के राज्यक्षेत्रों में किसी भी स्थल से अथवा के लिए कार्गो हेतु किसी भूतल परिवहन को नियुक्त करने की अनुमति होगी। ऐसे कार्गो को चाहे भूतल द्वारा अथवा हवाई मार्ग द्वारा लाते ले जाते हुए, हवाईअंड्डा कस्टम प्रक्रियाकरण तथा सुविधाएं सुलभ होंगी । एयरलाइनें अपनां स्वयं भूतल परिवहने निष्पादित करने का चुनाव कर सकती हैं अथवा इसे अन्य भूतल एयरलाइनों तथा कार्गो हवाई सेवाओं के अप्रत्यक्ष प्रदाताओं द्वारा प्रचालित भूतल परिवहन शामिल है ।। ऐसी इंरमोडल कार्गो सेवाओं को हवाई तथा भूतल परिवहन के लिए संयुक्त रूप से एक एकल भू मूल्य पर पेश किया जा सकता है बशर्ते कि जहाज वाहकों को इस परिवहन से संबंधित तथ्यों के बारे में दिग्र्भमित न किया जाए।

## अनुच्छेद - पन्द्रह परामर्श तथा विवादों का निपटान

1. कोई भी पक्ष, किसी भी समय, इस करार के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है । ऐसे परामर्श शीघ्रतम सम्भव तिथि को आरंभ होंगे किन्तु, अन्यथा सहमत होने को छोड़कर, अन्य पक्ष द्वारा अनुरोध प्राप्त करने की तिथि के 60 दिन से अधिक देर से नहीं ।
2. इस करार के तहत उठने वाले किसी भी विवाद को, यदि इसे औपचारिक परामर्श पहले दौर की बातचीत सुलझाया नहीं जा सकता है तो, दोनों संविदाकारी पक्षों के सहमति द्वारा संबंधी निर्णय के लिए किसी व्यक्ति अथवा निकाय को भेजा जा सकता है। यदि दोनों पक्ष ऐसा करने में सहमत नहीं होते हैं तो, विवाद को, दोनों में से किसी भी पेक्ष के अनुरोध पर, नीचे दी गई क्रियाविधियों के अनुसार विवाचक को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
3. तीन विवाचकों के न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित रूप से विवाचन का गठन किया जाएगा:-

क) विवाचन को अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् 30 दिन के भीतर-भींतर प्रत्येक पक्ष द्वारा एक-एक विवाचक नामित किया जाएगा। इन दोनों विवाचकों को नामित किए जाने के पश्चात् 60 दिन के भीतर-भीतर इन विवाचकों द्वारा तीसरे विवाचक की नियुक्ति की जाएगी, जो कि विवाचकीय न्यायाधिकरण के अघ्यक्ष के रूप में कार्य करेगा;

ख) यदि दोनों में से कोई भी पक्ष विवाचक के नाम को नामजद करने में असफल रहता है अथवा यदि इस पैराग्राफ के उप पैरा के अनुसार तीसरा विवाचक नियुक्त नहीं किया जाता है, तो दोनों पक्ष अंतररराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के प्रेसीडेन्ट ऑफ कौन्सिल से 30 दिन कें'भीतर-भीतर आवश्यक विवाचक अथवा विवाचकों की नियुक्ति के लिए अनुरोधंकर सकते है । यदि कौन्सिल का प्रेसीडेन्ट दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के 'देश से संबंधित हो, तब सबसे वरिष्ठ वाइस प्रेसीडेन्ट, जिसे इस संबंध में अयोग्य करार न दिया गया हो, की नियुक्ति कर दी जाएगी। यदि दोनों में सें प्रेसीडेन्ट अथवा सबसे वरिष्ठ योग्य वाइस प्रसीडेन्ट इस; पैरा के तहत तीसरे विवाचक की नियुक्ति करता हो तो वह तीसरा विवाचक दोनों पक्षों में से किसी के देश का नागरिक नहीं होगा।
4. किसी अन्य सहमति को छोड़कर, इस करार के अनुसारें विवाचन न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करेगा और अपने क्रियाविधि संबंधी नियमों को स्थापित करेगा । एक बार गठित न्यायाधिकरण अपने अंतिम फैसले तके अंतरिम सहायता उपायों की सिफारिश कर सकता है । न्यायाधिकरण के निर्देशों पर अथवा दोनों में से किसी पक्ष के अनुरोध पर विवेचना हेतु नियमनिष्ठ मामलों के निर्धारण के लिए एक विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन करके अनुपालन किए जाने वाली विशिष्ट क्रियाविधियों की न्यायाधिकरण के पूर्ण रूप से गठित हो जाने के 15 दिन के भीतर-भीतर्र लागू की जाएगी ।
5. किसी अन्य सहमति को छोड़कर अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अुनसार प्रत्येक पक्ष, न्यायाधिकरण के पूर्ण रूप.से गठित हो जाने के समय के 45 दिन के भीतर-भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। दूसरे पक्ष को 60 दिन के पश्चात जवाब देना होगा। न्यायाधिकरण द्वारा, दोनों में से किसी के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उत्तर दिये जाने के 15 दिन के भीतर इस बारे में सुंनवाई की जाएगी ।
6. सुनवाई पूरी होने पर, अथवा यदि सुनवाई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो 30 दिन के भीतर-भीतर दोनों पक्षों के जवाब प्रस्तुत कर दिंड जाने की तारीख के पश्चात ही न्यायाधिकरण लिखित रूप से निर्णय देगा । न्यायाधिकरण में बहुमत से लिए गए निर्णय ही प्रभावी होंगे ।
7. दोनों पक्ष निर्णय दिए जाने के पश्चात 15 दिन के भीतर-भीतर निर्णय के स्पष्टीकरण के संबंध में अनुरोध कर सकते हैं तथा इस संबंब में दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण ऐसे अनुरोध के 15 दिन के भीतर-भीतर जारी कर दिंया जाएगा ।
8. प्रत्येक पक्ष अपने राष्ट्रीय कानून की सीमा के अनुरूप ही किसी भी निर्णय अथवा विवाचन न्यायाधिकरण के अवार्ड को पूरी तरह लागू करेगा ।
9. विवाचन न्यायाधिकरण के खर्चों, शुल्क तथा विवांचकों के खर्चें सहित, का वहन दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा । इस अनुच्छेद के पैरा 3 ख की कार्य विधि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद के प्रेसीडेन्ट द्वारा किए गए किसी भी व्यय को विवाचन न्यायाधिकरण के व्यय के भाग के रूप में माना जाएगा ।

## अनुच्छेद - सोलह परामर्श तथा विवादों का निपटान

1. यदि कोई भी पक्ष इस करार के अनुबंध सहित इसके किसी भी प्रावधान का संशोधन वांछनीय समझता है, तो वह प्रस्तावित संशोधन के संबंध में दोनों पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच परामर्शों का अनुरोध कर सकता है । ये परामर्श इस अनुरोध की प्राप्ति की तिथि के 60 दिन के भीतर आरंभ होंगे । इस प्रकांर सहमत कोई भी संशोधन तबं लागू होंगे जब दोनों पक्षों द्वारा राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा इनकी पुष्टि की जा चुकी होगी ।
2. अनुबंध में संशोधन दोनों पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सीधे कंरार द्वारा किया जाएगा और यह तब लागू होगा जब राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी पुष्टि कर दी जाएगी ।

## अनुच्छेद - सत्रह <br> समाप्त करना

दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी समय दूसरे पक्ष को इस करार को समाप्त करने हेतु अपने निर्णय के बारे में लिखित में नोटिस दे सकता है । साथ ही ऐसा नोटिस अंतरराष्ट्रीय नागर विमनन संगठन को भेजा जाएगा । यदि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व दोनों पक्षों के परस्पर निर्णय द्वारा इस नोटिस को वापिस नहीं लिया जाता है तो यह करार उस पंक्ष द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख की पूरी एक सालगिरह के पहले, तत्काल अर्द्धरात्रि ${ }^{\text {(दूसरे पक्ष को }}$ नोटिस की प्राप्ति के स्थान पर) को समाप्त कर दिया जाएगा ।

## अनुच्छेद - अठारह इकाओं के साथ पंजीकरण

इस करार को तथा इसके सभी संशोधनों को अंतरराष्ट्रीय हस्ताक्षरित होने पर अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ पंजीकृत किया जाएगा ।

## अनुबंध <br> अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं

मार्ग
प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें निम्नलिखित मार्गों पर स्थलों के बीच अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं।निष्पादित करने की पात्र होंगी:

क. आइसलैण्ड गणराज्य सरकार द्वारा नामित एयरलाइनों के लिए मार्ग:

| आइसलैण्ड में स्थल | मध्यवर्ती स्थल | भारत में स्थल | परे के स्थल |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| कोई भी | कोई भी दो स्थल | कोई भी दो स्थल | कोई भी दो स्थल |

ख. भारत गणराज्य सरकार द्वारा नामित एयरलाइन के लिए मार्ग:

| आइसलैण्ड में स्थल | मध्यवर्ती स्थल | भारत में स्थल | परे के स्थल |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| कोई भी | कोई भी दो स्थल | कोई भी दो स्थल | कोई भी दो स्थल |

नोट:

1. प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें अपनी मर्जी से उपरोक्त में से किसी भी मार्ग पर स्थलों को हटा सकते हैं बशर्ते, सभी-कार्गो सेवाओं को छोड़कर, जिस राज्यक्षेत्र में संबंधित एयरलाइन का प्रमुख कार्य स्थल हो, वहां पर सेवाएं आरंभ अथवा समाप्त होती हों ।
2. भारत तथा आइसलैण्ड में उपरोक्त मार्गो पर मध्यवर्ती स्थलों, परे के स्थलों तथा प्वाइंट्स ऑफ काल, तथा नामित एयरलाइनों द्वारा इन स्थलों पर प्रयोग किए जाने वाले यातायात अधिकारों का निर्धारण/वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

## अनुच्छेद - उन्नीस <br> प्रवर्तन

यह करार और इसका अनुबंध दोनों पक्षों के बीच राजनयिक नोटों के एक आदानप्रदान में बाद के नोट की तिथि पर लागू होगा, कि प्रत्येक पक्ष ने इस करार तथा इसके अनुबंब को लागू करने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं ।

इनके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत होने के नाते, इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

आज दिनांक 14 जनवरी ----2010 दिन-नईे टितली को दो प्रतियों में, अंगेजी भाषा में, जो कि प्रामाणिक पाठ होगा, किया गया । आइसलैण्डिक तथा हिन्दी में करार का अनुवाद किया जाएगा और राजनयिक नोटों के एक आदान-प्रदान, जिसमें।इनकी अंग्रेजी भाषा के पाठ के साथ एक रूपता की पुष्टि की गई हो, इसे समान रूप से प्रामाणिक माना जाएगा।

कृते भारत गणराज्य सरकार

(एम. माधवन नाम्बियार)

कृते आइसलैण्ड सरकार


